उत्तराखण्ड शासन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग
संख्याः —— /VII-2–18/41–एमएसएमई/2016
दिनांकः6 अप्रैल, 2018

अधिसूचना

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–403/सात–2–18/41–एमएसएमई/2016 दिनांक 22 फरवरी, 2018 से प्रख्यापित **उत्तराखण्ड राज्य की स्टार्ट–अप नीति–2018** में प्रदत्त अनुदान सुविधाओं/रियायतों व नीति के अन्य बिन्दुओं के क्रियान्वयन हेतु श्री राज्यपाल महोदय **उत्तराखण्ड राज्य की स्टार्ट–अप नीति के क्रियान्वयन आदेश–2018** प्रख्यापित करने की एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1 संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा अवधि

1. ये दिशा–निर्देश/आदेश **उत्तराखण्ड राज्य की स्टार्ट–अप नीति के क्रियान्वयन आदेश–2018** कहे जायेंगे।
2. यह दिशा–निर्देश/आदेश उत्तराखण्ड की स्टार्ट–अप नीति की अधिसूचना जारी होने की तिथि से 07 वर्षो अथवा अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले घटित हो, प्रभावी रहेंगे। **दिनांक 29.06.2017 के पश्चात् मान्यता प्राप्त करने वाले स्टार्ट–अप को भी स्टार्ट–अप नीति के लाभ अनुमन्य होंगे।**
3. फील्ड स्तर पर इन दिशा–निर्देशों/आदेशों तथा योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के महानिदेशक पदधारक अधिकारी, जो वर्तमान में महानिदेशक/आयुक्त उद्योग है तथा उनके अधीन जनपदों में कार्यरत जनपद स्तरीय अधिकारी जो वर्तमान में महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र हैं, का होगा।

2 उपक्रम (Entity)

उपक्रम से तात्पर्य (कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार), पंजीकृत साझेदारी फर्म (साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार) अथवा सीमित देयता साझेदारी (सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 के अनुसार) गठित विधिक उपक्रम से है।

3 स्टार्ट–अप की परिभाषा

उत्तराखण्ड स्टार्ट–अप नीति के अंतर्गत एक ईकाई को स्टार्ट–अप माना जाएगा, यदि वह नीचे दी गई चार शर्तो को पूर्ण करती हो अथवा यदि ईकाई स्टार्ट–अप इंडिया की पहल